


कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

::कार्यालय आदेश::

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा/मा/संस्था/बी-2/45002/स्थानांतरण/वो-2 दिनांक 29.09.2021 द्वारा श्री अशोकपाल सिंह मीना, प्रधानाचार्य राउमावि कृष्णगंज (213952) सिरोही का स्थानांतरण राउमावि टांटोल (222861) राजसमंद किया गया था। श्री अशोकपाल सिंह मीना द्वारा उक्त आदेश के विरुद्ध माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, चलपीठ, जोधपुर में अपील संख्या 126/2021 अशोकपाल सिंह बनाम राजस्थान राज्य व अन्य दायर की गई।

अपील में माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.10.2021 द्वारा आलोच्य आदेश दिनांक 29.09.2021 को अपीलार्थी श्री अशोकपाल सिंह मीना के सम्बन्ध में अपास्त किया गया है तथा विभाग को छूट प्रदान करते हुए नियमानुसार प्रशासनिक एवं जनहित में अपीलार्थी का अन्यत्र स्थानान्तरण करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है।

अतः माननीय अधिकरण के अपील संख्या 126/2021 में पारित उक्त आदेश की पालना में नवीन आदेश प्रसारित करते हुए प्रशासनिक आवश्यकता, छात्र हित एवं राउमावि कृष्णगंज सिरोही में दोहरे पदस्थापन की स्थिति के निवारणार्थ श्री अशोकपाल सिंह मीना, प्रधानाचार्य राउमावि कृष्णगंज (213952) सिरोही को राउमावि टांटोल (222861) राजसमंद में प्रधानाचार्य के रिक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है, कार्मिक को नियमानुसार यात्रा भत्ता एवं योगकाल देय होगा। तत्काल पालना सुनिश्चित की जावे।



(काना राम)


आई.ए.एस

निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

दिनांक: 25.10.21

क्रमांक: शिविरा-मा./संस्था/बी-2/अपील/अशोकपाल सिंह/126/2021/
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, उदयपुर/पाली संभाग,।
4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, सिरोही/राजसमंद।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक, सिरोही/राजसमंद।
6. सम्बन्धित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
7. जिला शिक्षा अधिकारी (विधि) माध्यमिक, जयपुर।
8. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
9. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड हेतु।
10. श्रीमती अशोकपाल सिंह, प्रधानाचार्य को आदेश की पालनार्थ।
11. निजी/रक्षित पत्रावली।



संयुक्त निदेशक(कार्मिक)